

महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक

(हरियाणा राज्य विधान के अधिनियम 25/1975 के अन्तर्गत स्थापित)

आयुर्वेदाचार्य

(आयुर्वेद तथा शल्य चिकित्सा स्नातक)

प्रमाणित किया जाता है कि साहिल गुप्ता

सुपुत्र/सुपुत्री श्री अशोक कुमार गुप्ता

विद्यार्थी गौड़ ब्राह्मण आयुर्वेदिक महाविद्यालय रोहतक

को इस विश्वविद्यालय द्वारा दिसम्बर, 2008 में आयोजित तत्सम्बन्धी परीक्षा

उत्तीर्ण करने तथा वार्षिक अन्तरंग चिकित्सक प्रशिक्षण प्राप्त करने के

उपसन्त आयुर्वेदाचार्य (आयुर्वेद तथा शल्य चिकित्सा स्नातक)

की उपाधि प्रदान की जाती है।



00056

MAHARSHI DAYANAND UNIVERSITY, ROHTAK

(Established Under Haryana Act No. 25 of 1975)

AYURVEDACHARYA

(Bachelor of Ayurvedic Medicine & Surgery)

This is to certify that SAHIL GUPTA

son/daughter of Shri ASHOK KUMAR GUPTA

a student of G B AYURVEDIC COLLEGE ROHTAK

having passed the required examination held in DECEMBER, 2008 and

completed the internship training for one year is hereby awarded

the degree of Ayurvedacharya (Bachelor of Ayurvedic Medicine & Surgery).

S.P.V.V.S

कुलसचिव

Registrar

विश्वविद्यालय के मुद्रांकन द्वारा प्रमाणित
Given under the seal of the University



He

कुलपति

Vice-Chancellor

Jagannath Pabedi

कुलाधिपति

Chancellor

रोहतक, तिथि मार्च 31, 2010

Rohtak, Dated March 31, 2010